पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 01/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/ 01

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. अमराराम पुत्र खीमाराम देवासी, निवासी मगरतलाव ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

2. पंचायत निगरानी संख्या : 02/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/ 2

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. चेनाराम ,मादाराम पुत्रगण कसाराम गमनाराम भील निवासी मगरतलाव ग्राम पंचायत मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

3. पंचायत निगरानी संख्या : 03/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/ 3

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. उदीबाई पत्नी कसाराम भील, निवासी मगरतलाव, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

4. पंचायत निगरानी संख्या : 04/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/4

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह पंवार, निवासी मगरतलाव ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

5. पंचायत निगरानी संख्या : 05/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/5

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. मादाराम पुत्र मगाराम देवासी, निवासी मगरतलाव, ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

6. पंचायत निगरानी संख्या : 06/2025
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/06

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी — बनाम —
1. चैनाराम पुत्र केराराम चौधरी, निवासी मगरतलाव, ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

7. पंचायत निगरानी संख्या : 07/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/7

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. दलाराम पुत्र कसाराम भील, निवासी मगरतलाव, ग्राम पंचायत मगरतलाव,तहसील देसूरी, जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी।

8. पंचायत निगरानी संख्या : 08/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/8

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. छोगाराम पुत्र हरजीराम सरगरा, निवासी कोलर, ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी। .

9. पंचायत निगरानी संख्या : 09/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/ 9

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. विंजाराम पुत्र खीमाराम देवासी, निवासी मगरतलाव, ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी।

10. पंचायत निगरानी संख्या : 10/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/10

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. झमकु पत्नी दलाराम भील निवासी मगरतलाव ग्राम पंचायत मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

11. पंचायत निगरानी संख्या : 11/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/11

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. पुष्पादेवी पत्नी गोविन्दराम सुथार, निवासी कोलर ग्राम पंचायत मगरतलाव, तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

12. पंचायत निगरानी संख्या : 12/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/12

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. गणपतसिंह पुत्र पुरसिंह रावत, निवासी मगरतलाव, तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

13. पंचायत निगरानी संख्या : 13/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/13

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. मनोहरलाल पुत्र छोगाराम सरगरा, निवासी कोलर ग्राम पंचायत मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

14. पंचायत निगरानी संख्या : 14/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/14

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. जमना कंवर पत्नी पुखराज रावणा राजपूत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

15. पंचायत निगरानी संख्या : 15/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/15

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. चैनाराम पुत्र कैराराम चौधरी निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

16. पंचायत निगरानी संख्या : 16/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/16

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. टमु पत्नी गणपतसिंह रावत, निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

17. पंचायत निगरानी संख्या : 17/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/17

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. भीमाराम पुत्र कसाराम भील, निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

18. पंचायत निगरानी संख्या : 18/2025

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01 / 2025, 02 / 2025, 03 / 2025, 04 / 2025, 05 / 2025, 06 / 2025, 07 / 2025, 08 / 2025, 09 / 2025, 10 / 2025, 11 / 2025, 12 / 2025, 13 / 2025, 14 / 2025, 15 / 2025, 16 / 2025, 17 / 2025, 18 / 2025, 19 / 2025, 20 / 2025, 21 / 2025, 22 / 2025, 23 / 2025, 24 / 2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 18

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. फुसाराम पुत्र बुधाराम प्रजापत , निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

19. पंचायत निगरानी संख्या : 19 / 2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 19

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. संतोष कंवर पत्नी गणपतसिंह राजपुत , निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

20. पंचायत निगरानी संख्या : 20 / 2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 20

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. डिम्पल कंवर पत्नी महिपालसिंह रावणा राजपुत, निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

21. पंचायत निगरानी संख्या : 21 / 2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 21

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. डिम्पल कंवर पत्नी महिपालसिंह रावणा राजपुत, निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

22. पंचायत निगरानी संख्या : 22 / 2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 22

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. उमाराम पुत्र राजाराम देवासी , निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

23. पंचायत निगरानी संख्या : 23 / 2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025 / 23

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देसूरी

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी बिंजाराम देवासी , निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

24. पंचायत निगरानी संख्या : 24/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/24

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्रजी ओझा, निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव प.स. देसूरी

उपस्थिति :–
1. अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र माथुर।
(प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2025/24 में अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही)

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांकः 29.10.2025

याचिकाकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी द्वारा ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा ज़ैर निगरानीग्रस्त निष्पादित किये गये 24 भूमि विक्रय विलेखों को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से चुनौति प्रस्तुत की है, अतः उपरोक्त वर्णित पंचायत निगरानी याचिकाओं को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे जारी किये गये है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के सतर्कता/बैठक/पाली/24/1875–83 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 एवं तहसीलदार देसूरी जिला पाली के पत्रांक 662 दिनांक 25.11.2024 के अनुसार ग्राम मगरतलाव के खसरा नम्बर 544 रकबा 1.51 किस्म बारानी दोयम खाता संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा ग्राम मगरतलाव की सीमा पर राजस्व भूमि में स्थित है। ग्राम मगरतलाव के खसरा नम्बर 544/1 रकबा 0.32 किस्म गैर मुमकीन श्मशान का विभाजन खसरा नम्बर 544 से हुआ है जो श्मशान भूमि के उपयोग मे ली जा रही है। अतः उक्त पट्टा खारिज योग्य है।

उक्त राजस्व भूमि खसरा नम्बर 544 एवं 544/1 में ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा पट्टा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा की उक्त भूमि आबादी में नही है। उक्त खसरा नम्बर 544 एवं 544/1 राजस्व भूमि है। अतः आबादी भूमि नहीं होने से पट्टा खारिज योग्य है। पट्टे की जगह पर न तो पट्टाधारक का कोई कब्जा है न ही मकान निर्मित है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण का ही प्रावधान है अर्थात् 50 वर्ष पूर्व के घर बने हुए हो। अतः उक्त पट्टे खारिज योग्य है।

सारांशतः ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा खसरा संख्या 544 एवं 544/1 में पट्टा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) में जारी किया गया है उक्त पट्टे मौके पर खसरा संख्या 544 एवं 544 (1) राजस्व भूमि है। अतः राजस्व भूमि में ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा अनियमित रुप से पट्टे जारी किये गये है। अतः उक्त पट्टे आबादी भूमि में नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निगरानी याचिकाएं दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या दो सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 24/2025 में अप्रार्थी संख्या एक श्री मांगीलाल भी बावजूद सम्यक् तामीली के उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध भी एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाने का निर्णय लिया जाता है। शेष निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या एक के रुप में संयोजित पट्टाधारियों की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र माथुर पैरवी हेतु उपस्थिति दी।

विचाराधीन निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड यथा मिसल पत्रावलियाँ, पट्टा बुक संख्या 04 एवं 55 तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर पूर्व में ही प्राप्त होकर सलंग्न है। अतः अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी वक़्त बहस अनुपस्थित। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 01/2025 से 23/2025 के सन्दर्भ में निवेदन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान्तर्गत 'हितबद्ध व्यक्ति' ही निगरानी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। विचाराधीन याचिकाओं में आलोच्य विक्रय विलेखों से विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है एवं न ही न्यायालय हाजा में निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत करने हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है। अतः हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिकाएं खारिज की जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों से सम्बन्धित भूखण्डों पर पट्टाधारियों का प्रारम्भ से पुश्तैनी व रहवासी कब्जा था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए एवं सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया की पालना करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत विक्रय विलेख निष्पादित किए गए हैं, अतः निगरानी याचिकाएं सारहीन होने से अस्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई तथा याचिका पत्रों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

1. सर्वप्रथम, इस बिन्दु का निश्चय करना आवश्यक है कि हस्तगत प्रकरणों में प्रार्थी विकास अधिकारी, प.स. देसूरी अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा वक्त बहस इसी बिन्दु पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निगरानी याचिकाएं खारिज करने का निवेदन किया गया। इस सम्बन्ध में निगरानी याचिकाओं का अवलोकन करने से ज़ाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी याचिकाएं राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत करने का अंकन किया है तथा जिला कलेक्टर पाली के पत्रांक/1875–83 दिनांक 11 नवम्बर 2024 का भी सन्दर्भ उल्लेखित किया है। इसके अतिरिक्त, त्रिसोपानीय पंचायतीराज व्यवस्था में विकास अधिकारी को नियम 334 में प्रदत्त शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकार को सीमित करने सम्बन्धि कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। अतः काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत 'हितबद्ध व्यक्ति' सम्बन्धि आक्षेप विधिक दृष्टिकोण से संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

2. विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने आलोच्य संकल्प संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 एवं संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.12.2023 तथा इनके अनुक्रम में निष्पादित कुल 24 जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को प्रमुखतः इस आधार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पर चुनौति दी है कि प्रश्नगत भूखण्ड ग्राम नगरतलाव के खसरा संख्या 544 एवं 544/1 किस्म क्रमशः सिवायचक एवं गै.मु. श्मशान भूमि में स्थित है, जिन पर ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। निगरानी याचिकाओं में सन्दर्भित पत्र क्रमांक 662 दिनांक 25.11.2024 द्वारा भूमिधारी तहसीलदार देसूरी ने भी उक्त खसरा संख्या 544 एवं 544/1 को सिवायचक एवं श्मशान भूमि होने की राजस्व रिकॉर्ड से पुष्टि की है। **अप्रार्थीपक्ष ने भी सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है जो यह प्रतिकुल उपधारणा करने में सहायक हो कि जैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेखों से सम्बन्धित भूमि सिवायचक एवं गैर मुमकिन श्मशान की भूमि में स्थित नहीं होकर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन आबादी भूमि में अवस्थित हो।**

अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखो से सम्बन्धित भूखण्ड ग्राम नगरतलाव की सिवायचक एवं श्मशान भूमि क्रमशः खसरा संख्या 544 एवं 544/1 में स्थित है, जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन आबादी भूमि नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर आलोच्य संकल्प एवं विक्रय विलेख पारित किए गए है। चूंकि वैधानिक स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित 'आबादी भूमि' में ही कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है।

विचाराधीन निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियाँ उभरकर संज्ञान में आती है, जिनका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है:–

समस्त चौबीस विक्रय विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत 'पुराने गृहों' के विनियमितिकरण' के रुप में जारी किये गए हैं, जबकि उक्त समस्त चौबीस मिसलों में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र (नियम 146) में मौके पर कब्जाशुदा प्लॉट होना ही अंकित है। मूल मिसल पत्रावलियों में भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो प्रश्नगत भूखण्डों पर पुराना रहवासी मकान स्थिति होने की पुष्टि करता है। अर्थात् यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा ज़ैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेख खाली भूखण्डो के सम्बन्ध में जारी किये गए है एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में खाली भूखण्डों का विक्रय विलेख जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) उक्त नियमों के नियम 148 के प्रावधानानुरुप आपत्ति इश्तिहार की चस्पानगी एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इस निमित पुष्टि का अभाव पाया गया है।

(iii) प्रकरण संख्या 02/2025 में प्रश्नगत विक्रय विलेख संख्या 31 (पट्टा बुक संख्या 55) चेनाराम पुत्र श्री कसाराम एवं मादाराम पुत्र श्री गमनाराम, इन दो व्यक्तियों के नाम संयुक्त पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है, जबकि उक्त दोनों व्यक्ति वल्दियत अनुसार परस्पर सम्बद्ध नहीं है। दो पृथक परिवारों से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियम 157 के अन्तर्गत संयुक्त पट्टा जारी करना अतार्किक एवं अवैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है।

(iv) इसी प्रकार उक्त श्री चेनाराम पुत्र कसाराम भील की माता श्रीमती उदीबाई पत्नि श्री कसाराम भील के पक्ष में भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 30 (मिसल संख्या 27/2023–24) निष्पादित किया गया है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रकरण संख्या 03/2025 द्वारा चुनौति दी गई है।

(v) एक ही परिवार के सदस्यों को पृथक पृथक पट्टा विलेख देने का एक और प्रकरण निगरानी संख्या 7/2025 में भी पाया गया है, जिसमें श्री दलाराम पुत्र श्री केसाराम भील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

को पट्टा संख्या 31 (बुक संख्या 04) एवं उनकी पत्नी श्रीमती झमकु पत्नी श्री दलाराम भील को पट्टा संख्या 35 (निगरानी याचिका संख्या 10/2025) प्रदान किया गया।

(vi) इसी प्रकार प्रकरण संख्या 12/2025 के एवं प्रकरण संख्या 16/2025 में आलोच्य पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 28 एवं 29 पति–पत्नि को पृथक–पृथक जारी किये गए है। अर्थात् श्री गणपतसिंह रावत एवं उनकी पत्नी श्रीमती टमू पत्नी श्री गणपतसिंह रावत को पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में पृथक–पृथक भूखण्ड विक्रय विलेख निष्पादित किए गए है।

(vii) एक ही परिवार के सदस्यों को पृथक–पृथक पट्टा विलेख निष्पादित करने के अन्य प्रकरण निगरानी याचिका संख्या 08/2025 तथा 13/2025 एवं प्रकरण संख्या 09/2025 तथा 23/2025 में भी पाए गए है, जहाँ क्रमशः पिता–पुत्र तथा पति पत्नि को पृथक पृथक पट्टा विलेख जारी किए गए है।

(viii) मूल रिकॉर्ड के गहन विश्लेषण उपरान्त यह तथ्य भी संज्ञान में आता है कि निगरानी याचिका 06/2025 तथा 15/2025 में आलोच्य पट्टा विलेख संख्या क्रमश 28 तथा 32 (बुक संख्या 04) एक ही व्यक्ति श्री चैनाराम पुत्र श्री केशराम चौधरी के पक्ष में एक ही संकल्प संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 द्वारा निष्पादित करने का निर्णय लिया गया जबकि दोनों ही पट्टा विलेख खाली भूखण्डों से सम्बन्धित होना पूर्व में ही प्रमाणित सिद्ध हो चुका है।

(ix) एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग पट्टा विलेख जारी करने का एक अन्य प्रकरण निगरानी संख्या 20/2025 तथा 21/2025 में भी पाया गया, जहाँ श्रीमती डिम्पल कंवर पत्नी श्री महीपालसिंह के पक्ष में क्रमशः पट्टा विलेख संख्या 46 एवं 33 निष्पादित किए गए है।

संक्षेप में, विचाराधीन चौबीस निगरानी याचिकाओं में ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा आलोच्य संकल्प तथा भूमि विक्रय विलेख सम्बन्धि कार्यवाही न केवल अधिकारिता से परे जाकर गैर आबादी श्रेणी की सिवायचक भूमि एवं श्मशान भूमि में की गई है, अपितु, अवैधानिक ढंग से एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य राजकीय भूमि की औने–पौने दामों पर बंदरबाट करने का कुत्सित कृत्य भी किया गया है।

अतः विचाराधीन समस्त चौबीस निगरानी याचिकाएं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में अंकित आक्षेप प्रमाणित पाए जाने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा पारित संकल्प संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 तथा उसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 34 (मिसल संख्या 361/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 28 (मिसल संख्या 358/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 31 (मिसल संख्या 353/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 43 (मिसल संख्या 13/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 35 (मिसल संख्या 352/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 36 (मिसल संख्या 356/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 30 (मिसल संख्या 360/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 32 (मिसल संख्या 357/2022–23), विक्रय विलेख संख्या 45 (मिसल संख्या 365/2022–23), एवं विक्रय विलेख संख्या 33 (मिसल संख्या 362/2022–23), को अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है।

इसी प्रकार ज़ैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.12.2023 तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 17 (मिसल संख्या 15/23–24), विक्रय विलेख संख्या 31 (मिसल संख्या 28/23–24), विक्रय विलेख संख्या 30 (मिसल संख्या 27/23–24), विक्रय विलेख संख्या 18 (मिसल संख्या 16/23–24), विक्रय विलेख संख्या 13 (मिसल संख्या 11/23–24), विक्रय विलेख संख्या 28 (मिसल संख्या 25/23–24), विक्रय विलेख संख्या 47

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ संख्या : 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

(मिसल संख्या 47/23–24), विक्रय विलेख संख्या 29 (मिसल संख्या 26/23–24), विक्रय विलेख संख्या 39 (मिसल संख्या 37/23–24), विक्रय विलेख संख्या 27 (मिसल संख्या 24/23–24), विक्रय विलेख संख्या 46 (मिसल संख्या 46/23–24), विक्रय विलेख संख्या 16 (मिसल संख्या 14/23–24), विक्रय विलेख संख्या 14 (मिसल संख्या 12/23–24), तथा विक्रय विलेख संख्या 27 (मिसल संख्या 359/22–23) को भी अवैधानिक पाए जाने से निरस्त किया जाता है।

साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मगरतलाव को निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किये गए भूमि विक्रय विलेखों की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क एवं निरस्त का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी को भी निर्देशित किया जाता है कि अपास्त किए गए संकल्प एवं भूमि विक्रय विलेखों की कार्यवाही में संलिप्त लोकसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय चौबीस प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक याचिका के साथ संलग्न हो तथा मूल मिसल पत्रावलियों की प्रमाणित प्रति भी पृथक–पृथक याचिका के साथ शामिल पत्रावली की जाए।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner